



व्हाट्सएप और गोपनीयता का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप में से एक व्हाट्सएप ने अपनी [गोपनीयता नीति](#) अपडेट की है और उपयोगकर्ताओं से 8 फरवरी, 2021 तक नए नियम और शर्तों स्वीकार करने को कहा है।

- नई नीतिके इस मुद्दे पर चर्चा जारी है कि उपयोगकर्ता के डेटा को किसी अन्य सोशल मीडिया प्रमुख जैसे- फेसबुक के साथ साझा किया जा सकता है, जो व्हाट्सएप की मूल कंपनी भी है।

प्रमुख बिंदु

- सूचना साझा करने, मनोरंजन आदि के विभिन्न उद्देश्यों के लिये एक बड़ी आबादी के एप पर निर्भर होने के कारण नई गोपनीयता नीति एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है।
- इस मुद्दे पर स्पष्टता व्यक्त करते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि "नए अपडेट में फेसबुक के साथ व्हाट्सएप के डेटा-साझाकरण कार्य को नहीं बदला गया है और यह दोस्तों या परिवार के साथ नज्दी तौर पर संवादों को प्रभावित नहीं करता है, व्हाट्सएप लोगों की गोपनीयता की रक्षा के लिये गंभीरता के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है।"
- यह उपयोगकर्ताओं से जबरन ली जाने वाली सहमति है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है।
 - जो उपयोगकर्ता व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति से असहमत हैं, इस नई नीति लागू होने के बाद उनके पास व्हाट्सएप छोड़ने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होगा।
- यह नीति उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को भंग करने के अलावा भेदभावपूर्ण भी है क्योंकि यह यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ में लागू नहीं है लेकिन विश्व के बाकी हिस्सों द्वारा इसे स्वीकार किया जाना जरूरी है।

नीतिकी विशेषताएँ

- व्हाट्सएप अपने उपभोक्ताओं से जो जानकारी एकत्र करता है, इस नीतिके लागू होने के बाद उसे वह फेसबुक के साथ साझा करेगा, इनमें शामिल हैं- मोबाइल फोन नंबर, उपयोगकर्ता गतिविधि, IP एड्रेस और व्हाट्सएप खाते की अन्य बुनियादी जानकारी आदि।
- नई नीति व्हाट्सएप और फेसबुक को उपयोगकर्ता की जानकारी व्यवसायों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ उपयोगकर्ता की जानकारी साझा करने की अनुमति देती है।
- तकनीकी मुद्दे (Technical Front) और यहाँ तक कि विश्लेषण के मुद्दे (Analytics Front) पर भी सहमतिके अलावा लॉगिन विवरण तथा स्थानीय विवरण आदि साझा करने के लिये कहा गया है।
- व्हाट्सएप के अनुसार, नई गोपनीयता नीति में 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' (End-to-End Encryption) का प्रावधान अभी भी बरकरार है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि व्हाट्सएप उपभोक्ताओं के संदेशों को नहीं देख सकेगा और न ही उन्हें किसी के साथ साझा कर सकेगा।
- हालाँकि नई गोपनीयता नीतिके लागू होने के बाद अब व्हाट्सएप किसी उपभोक्ता का मेटाडेटा भी साझा कर सकता है, जिसका अर्थ है कि बातचीत के मूल संदेशों के अतिरिक्त सब कुछ साझा किया जा सकता है।
 - मेटाडेटा वस्तुतः किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों की वस्तुतः जानकारी/ब्योरा उपलब्ध कराता है।

व्हाट्सएप और भारत

- व्हाट्सएप भारत में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका स्वामित्व फरवरी, 2014 से फेसबुक के पास है।
- विश्व स्तर पर कुल 2 बिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं में से भारत में 400 मिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्ता हैं और फेसबुक के 310 मिलियन उपयोगकर्ता हैं।
- इसके अलावा व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला भारत पहला देश है।
 - इसे भारतीय नियमकों से अब तक 20 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ लाइव जुड़ने की अनुमति मिली है।
- इतने व्यापक उपयोगकर्ता आधार के बावजूद भारत को इस पर सहमति देने के लिये केवल इसलिये कहा गया है, क्योंकि भारत में एक कड़े डेटा संरक्षण कानून की कमी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मुद्दे

- लगभग 75% साइबर अपराध जैसे कि बाल यौन शोषण, आतंकवादी कट्टरपंथी या वित्तीय अपराध, फेक न्युज़ सहित कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, इन जैसेजगि एप या सोशल मीडिया के माध्यम से फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग हमले के साथ शुरू होते हैं।
 - सोशल इंजीनियरिंग गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिये लोगों से हेरफेर कर रही है, जैसे- आमतौर पर किसी व्यक्ति को पासवर्ड या बैंक जानकारी जैसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने या किसी कंप्यूटर तक पहुँचने के लिये गुप्त रूप से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिये इत्यादी।
- अमेरिका जैसे देशों ने अपने संचार नरिणय अधिनियम (**Communications Decency Act**), 1996 की धारा 230 (c) के माध्यम से सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री को कानूनी परतरीकषा प्रदान की है।
- इस तरह की कार्यवाहियाँ अक्सर इन प्लेटफॉर्मों को अपराधों का एक आधार बनाती हैं।
 - इसके अलावा यह देश की संप्रभुता को कंपनी की नीति के अधीन लाता है जो काँक एक गंभीर वसिंगति है।
 - एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जो इंफार्मेशन को एक अपठनीय कोड भाषा में परविरतित कर देती है, जसि एक्सेस करना कठिन होता है।
 - डेटा या इंफार्मेशन को एन्क्रिप्ट करने के लिये एक 'की' का प्रयोग होता है जो सेंडर और रसिवर के पास सुरकषति होती है।
 - इंटरनेट पर डेटा को सुरकषति रखने के लिये उसे एन्क्रिप्ट कया जाता है, जो इसे हैक होने से बचाता है और उसके गलत प्रयोग होने की आशंका नहीं रहती।

भारत और अन्य देशों में डेटा संरकषण

- 194 में से 128 देशों ने डेटा और गोपनीयता की सुरकषा के लिये कानून बनाए थे।
 - अफ्रीका और एशिया ऐसे 55% देशों के एक समान स्तर को दखिाते हैं, जनिहोंने ऐसे कानूनों को अपनाया है, इनमें से कम-से-कम 23 वकिसति देश हैं।
- **भारत:** हालँक **पुटासवामी नरिणय** में कहा गया है कनिजिता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वास्तव में भारत में कसिी व्यक्ति के डेटा की सुरकषा के लिये कोई सख्त कानून या कोई वशिष प्रावधान नहीं है।
 - **व्यक्तगत डेटा संरकषण** (Personal Data Protection- PDP) वधियक भारत की संसद में व्यक्तियों के व्यक्तगत डेटा की सुरकषा के लिये अभी भी बहस का वषिय है।
- **रूस:** रूसी संघ में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन और उपभोक्ता संरकषण के साथ-साथ गोपनीयता एवं डेटा संरकषण हेतु मसौदा कानून मौजूद है।
 - प्रमुख कानून व्यक्तगत डेटा 2006 (व्यक्तगत डेटा कानून) पर फेडरल लॉ नंबर 15-FZ है, जसि कई अतरिकित कानूनों, नयिमों और दशिा-नरिदेशों द्वारा जोड़ा गया है।
 - कई रूसी कानूनों का संयोजन सभी कषेत्रों में व्यापक गोपनीयता सुरकषा प्रदान करता है।
- **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संघ के 43 देशों (45 में से) के पास वशिष रूप से डेटा सुरकषा के लिये कानून हैं।
 - व्हाट्सएप कानूनी रूप से यूरोपीय कषेत्र में फेसबुक के साथ डेटा साझा नहीं करने के लिये बाधय है क्यँक यह सामान्य डेटा संरकषण वनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
 - GDPR यूरोपीय संघ कानून में यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक कषेत्र में सभी व्यक्तियों के डेटा संरकषण और गोपनीयता पर एक अधिनियम है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** UK में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन, उपभोक्ता संरकषण, गोपनीयता और डेटा संरकषण तथा साइबर अपराधों के लिये अलग कानून है।
 - वर्ष 2018 में फेसबुक के स्वामतिव वाले व्हाट्सएप ने यूके के सूचना आयुक्त कार्यालय (Information Commissioner's Office- ICO) के एक उपक्रम पर हस्ताकषर कयि, जसिमें उसने सार्वजनिक रूप से भवषिय में फेसबुक के साथ व्यक्तगत डेटा साझा नहीं करने की परतबिद्धता जताई है।
- **अमेरिका:** अमेरिका के पास वशिषिट डेटा सुरकषा कानून और नयिम हैं जो अमेरिकी नागरिकों के डेटा जैसे कसिंघीय सूचना सुरकषा प्रबंधन अधिनियम (FISMA), NIST 800-171 आदिकी सुरकषा के लिये राज्य-स्तरीय कानून के तहत काम करते हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया:** गोपनीयता अधिनियम (Privacy Act), 1988 एक ऑस्ट्रेलियाई कानून है जो व्यक्तियों की व्यक्तगत जानकारी संबंधी डेटा को नयितरति करता है।

आगे की राह

- **PDP वधियक का कार्यानवयन:** PDP वधियक पर बहस शुरू हुए काफी समय हो गया है, अब इसके कार्यानवयन का उचति समय है।
 - कठोर कानून के न होने का अरथ यह है कउपयोगकर्त्ता को डेटा के उल्लंघन या दुरुपयोग के मामले में कोई राहत नहीं मलि सकती है।
 - **गोपनीयता को प्राथमकता देना:** शकषा, मनोरंजन, बैंकगि लगभग हर कषेत्र में डजिटलीकरण की दशिा में अग्रसर होने के साथ अब समय आ गया है कलोग यह समझें कगोपनीयता का मामला कतिना महत्त्वपूर्ण है और कसिी भी कीमत पर इससे समझौता नहीं कया जाएगा।
- **भारत का अपना एप:** भारत को अपनी डजिटल संप्रभुता के लिये अपने स्वयं के एप वकिसति करने चाहयि।
 - एपी शाह समति की रपिर्स्ट में नौ सदिधांतों को रेखांकति कया गया है, ये गोपनीयता के अधिकार को परभाषति करते थे।
 - समति ने नजिी और सार्वजनिक कषेत्रों में गोपनीयता और व्यक्तगत डेटा की सुरकषा के लिये एक व्यापक कानून की सफारशि की।
 - यह कानून जवाबदेही, नोटसि, सहमति, संग्रह की सीमा, उपयोग की सीमा, पहुँच, सुधार और सुरकषा उपायों के संबंध में वचिर करता है।
- **एप को अन-इंस्टॉल करना समाधान नहीं:** एप को डलित करना इसका समाधान नहीं है, क्यँक जो डेटा पहले से मौजूद है, वह कंपनी के पास

सुरक्षित रहता है और अन्य एप के साथ साझा किया जा सकता है।

- विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को इस प्रकार के भेदभाव के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये है कि यदि ऐसी कोई नीति है तो उसे या तो सभी के लिये होना चाहिए या किसी के लिये भी नहीं।

नष्क्रष

- व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतिके संबंध में कंपनी और उसके उपयोगकर्त्ताओं के बीच एक अनुबंध होना चाहिये, जहाँ उपयोगकर्त्ताओं को अपनी गोपनीयता के संरक्षण के अधिकारों की अनुमति दी जानी चाहिये।
 - व्हाट्सएप की नई नीतिसिषष्ट रूप से उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करती है।
- भारत को एक ऐसे कानून की सख्त ज़रूरत है जो अपने नागरिकों की संवेदनशील जानकारी की रक्षा करे और इस तरह के किसी भी संगठन द्वारा उनका शोषण करने से रोका जा सके।
 - भारत 400 मिलियन उपयोगकर्त्ताओं के डेटाबेस वाला देश है जिसकी गोपनीयता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- व्हाट्सएप की भेदभावपूर्ण नीति भारत को ऐसे प्रावधान बनाने का आह्वान करती है जो किसी भी प्रकार की वसिंगतिके प्रति असहषिणुता का दावा करता है और जिसके आधार पर भारत एक अधिक न्यायसंगत दृष्टिकोण को प्राथमकता देगा।

व्हाट्सएप को MeitY का पत्र

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्हाट्सएप के सीईओ को एक पत्र भेजा है जिसमें कंपनी को एकपक्षीय गोपनीयता नीति में बदलाव को अनुचित और अस्वीकार्य बताते हुए वापस लेने को कहा है।
 - अपने पत्र में मंत्रालय ने व्हाट्सएप के "ऑल-ऑर-नथिंग" (All-or-Nothing) दृष्टिकोण पर आपत्तजिताई, जो उपयोगकर्त्ताओं को नई सेवा शर्तों और गोपनीयता नीतियों को स्वीकार करने के लिये मजबूर करता है।
- मंत्रालय ने यूरोपीय संघ और भारत के लिये अंतर-गोपनीयता नीतियों पर भी आपत्तजिताई है।
- व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति 8 फरवरी से लागू की जानी थी, लेकिन इसकी आलोचना के बाद इसे 15 मई तक टाल दिया गया है। इस नीतिके उद्देश्य मूल कंपनी फेसबुक के साथ वाणजियिक उपयोगकर्त्ता डेटा साझा करना है।
 - मंत्रालय ने डेटा की सटीक श्रेणियों के बारे में वविरण मांगा है जिसे व्हाट्सएप भारतीय उपयोगकर्त्ताओं से एकत्र करेगा।
 - व्हाट्सएप एप्लीकेशन को भारत और अन्य देशों में अपनी गोपनीयता नीतियों के बीच अंतर के बारे में वविरण प्रदान करने के लिये भी कहा गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/whatsapp-and-violation-of-privacy>